


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लक्ष्मणसिंह पुत्र दूधसिंह रावत, निवासी कालाकोट, पोस्ट-कालब, तहसील-रायपुर, जिला पाली (राज.) ब्लाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर प्रथम सूचना अपील संख्या :- 76/2021 जीसीएमएस नं. :- 2021/264 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>25/03/22</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 03.08.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर ने जरिये पत्रांक/सू.अ./2021/154 दिनांक 20.10.2022 व पत्रांक/सू.अ./22/45 दिनांक 22.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय के जरिये पत्रांक/सू.अ./2021/99 दिनांक 27.10.2021 के दिनांक 02.09.2021 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र मे वर्णित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रांक/राजस्व/2021/3774 दिनांक 01.01.2021 पर अपीलार्थी के अंगूठा निशान से स्पष्ट है। तथा अपीलार्थी सुनवाई के दौरान इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। <p style="text-align: center;">  नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	